न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।
(पीठासीन अधिकारी – डॉ0 गिरीश पाराशर, R.A.S)

राजस्व अपील संख्या : 34 / 2016 (जीसीएमएस संख्या : 2016 / 00344)

राधामोहन पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण, जाति–यादव, निवासी–ग्राम भोज्याडा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

अपीलान्ट्

बनाम

1. महावीर पुत्र श्री भंवरलाल, जाति–यादव, निवासी–ग्राम भोज्याडा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
2. महावीर पुत्र श्री बजरंगलाल, जाति–यादव, निवासी–ग्राम भोज्याडा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चाकसू, जिला–जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्स

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व आज्ञा तहसीलदार, चाकसू दिनांक 16.06.2014 नामान्तरकरण संख्या 524 ग्राम भोज्याडा)

उपस्थितः–
1. श्री रामधन चौधरी, अभिभाषक, अपीलान्ट् की ओर से।
2. श्री लेखराज यादव, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट् संख्या 01 की ओर से।
3. श्री प्रहलाद रावत, राजकीय अभिभाषक।
4. रेस्पोडेन्ट् संख्या 02 बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

राजस्व अपील संख्या : 28 / 2016(जीसीएमएस संख्या : 2016 / 00342)

राधामोहन पुत्र लक्ष्मीनारायण, जाति–यादव, निवासी–ग्राम भोज्याडा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

अपीलान्ट्

बनाम

1. धापू पत्नी श्री भंवरलाल, जाति–यादव, निवासी–ग्राम भोज्याडा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
2. महावीर पुत्र श्री भंवरलाल, जाति–यादव, निवासी–ग्राम भोज्याडा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
3. राधाकिशन पुत्र श्री भंवरलाल, जाति–यादव, निवासी–ग्राम भोज्याडा,तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
4. राजाराम पुत्र श्री भंवरलाल, जाति–यादव, निवासी–ग्राम भोज्याडा, तहसील–चाकसू जिला–जयपुर।
5. सियाराम पुत्र श्री भंवरलाल, जाति–यादव, निवासी–ग्राम भोज्याडा, तहसील–चाकसू जिला–जयपुर।
6. महावीर पुत्र श्री बजरंगलाल, जाति–यादव, निवासी–ग्राम भोज्याडा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चाकसू, जिला–जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्स

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व आज्ञा तहसीलदार, चाकसू दिनांक 15.06.2016 बाबत् विभाजन बहक सियाराम पुत्र भंवरलाल)।

राजस्व अपील संख्या : 31/2016(जीसीएमएस संख्या : 2016/00345)

राधामोहन पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण, जाति–यादव, निवासी–ग्राम भोज्याडा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

अपीलान्ट्

बनाम

1. धापू पत्नी श्री भंवरलाल, जाति–यादव, निवासी–ग्राम भोज्याडा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
2. महावीर पुत्र श्री भंवरलाल, जाति–यादव, निवासी–ग्राम भोज्याडा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
3. राधाकिशन पुत्र श्री भंवरलाल, जाति–यादव, निवासी–ग्राम भोज्याडा,तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
4. राजाराम पुत्र श्री भंवरलाल, जाति–यादव, निवासी–ग्राम भोज्याडा, तहसील–चाकसू जिला–जयपुर।
5. सियाराम पुत्र श्री भंवरलाल, जाति–यादव, निवासी–ग्राम भोज्याडा, तहसील–चाकसू जिला–जयपुर।
6. महावीर पुत्र श्री बजरंगलाल, जाति–यादव, निवासी–ग्राम भोज्याडा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चाकसू, जिला–जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्स

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व आज्ञा तहसीलदार, चाकसू दिनांक 15.06.2016 नामान्तरकरण संख्या 662 ग्राम भोज्याडा)।

राजस्व अपील संख्या : 27/2016(जीसीएमएस संख्या : 2016/00341)

राधामोहन पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण, जाति–यादव, निवासी–ग्राम भोज्याडा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

अपीलान्ट्

बनाम

1. धापू पत्नी श्री भंवरलाल, जाति–यादव, निवासी–ग्राम भोज्याडा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
2. महावीर पुत्र श्री भंवरलाल, जाति–यादव, निवासी–ग्राम भोज्याडा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
3. राधाकिशन पुत्रश्री भंवरलाल, जाति–यादव, निवासी–ग्राम भोज्याडा,तहसील–चाकसू जिला–जयपुर।

4. राजाराम पुत्र श्री भंवरलाल, जाति–यादव, निवासी–ग्राम भोज्याडा, तहसील–चाकसू जिला–जयपुर।
5. सियाराम पुत्र श्री भंवरलाल, जाति–यादव, निवासी–ग्राम भोज्याडा, तहसील–चाकसू जिला–जयपुर।
6. महावीर पुत्र श्री बजरंगलाल, जाति–यादव, निवासी–ग्राम भोज्याडा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चाकसू, जिला–जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्स

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व आज्ञा तहसीलदार, चाकसू दिनांक 13.07.2016 बाबत् विभाजन बहक महावीर पुत्र भंवरलाल)।

राजस्व अपील संख्या : 24/2016(जीसीएमएस संख्या : 2016/00343)

राधामोहन पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण, जाति–यादव, निवासी–ग्राम भोज्याडा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

अपीलान्ट्

बनाम

1. धापू पत्नी श्री भंवरलाल जाति–यादव, निवासी–ग्राम भोज्याडा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
2. महावीर पुत्र श्री भंवरलाल जाति–यादव, निवासी–ग्राम भोज्याडा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
3. राधाकिशन पुत्र श्री भंवरलाल जाति–यादव, निवासी–ग्राम भोज्याडा, तहसील–चाकसू जिला–जयपुर।
4. राजाराम पुत्र श्री भंवरलाल जाति–यादव, निवासी–ग्राम भोज्याडा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
5. महावीर पुत्र श्री बजरंगलाल, जाति–यादव, निवासी–ग्राम भोज्याडा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्स

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व आज्ञा तहसीलदार, चाकसू दिनांक 15.07.2016 नामान्तरकरण संख्या 669 ग्राम–भोज्याडा)।

राजस्व अपील संख्या : 26/2016(जीसीएमएस संख्या : 2016/00340)

राधामोहन पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण, जाति–यादव, निवासी–ग्राम भोज्याडा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

अपीलान्ट्

बनाम

1. धापू पत्नी श्री भंवरलाल, जाति–यादव, निवासी–ग्राम भोज्याडा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
2. महावीर पुत्र श्री भंवरलाल, जाति–यादव, निवासी–ग्राम भोज्याडा, तहसील–चाकसू,

जिला–जयपुर।

3. राधाकिशन पुत्र श्री भंवरलाल, जाति–यादव, निवासी–ग्राम भोज्याडा,तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
4. राजाराम पुत्र श्री भंवरलाल, जाति–यादव, निवासी–ग्राम भोज्याडा, तहसील–चाकसू जिला–जयपुर।
5. सियाराम पुत्र श्री भंवरलाल, जाति–यादव, निवासी–ग्राम भोज्याडा, तहसील–चाकसू जिला–जयपुर।
6. महावीर पुत्र श्री बजरंगलाल, जाति–यादव, निवासी–ग्राम भोज्याडा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चाकसू, जिला–जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्स

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार, चाकसू दिनांक 13.07.2016 बाबत् विभाजन बहक राजाराम पुत्र भंवरलाल)।

राजस्व अपील संख्या : 30 / 2016(जीसीएमएस संख्या : 2016 / 00346)

राधामोहन पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण, जाति–यादव, निवासी–ग्राम भोज्याडा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

अपीलान्ट्

बनाम

1. धापू पत्नी श्री भंवरलाल, जाति–यादव, निवासी–ग्राम भोज्याडा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
2. महावीर पुत्र श्री भंवरलाल, जाति–यादव, निवासी–ग्राम भोज्याडा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
3. राधाकिशन पुत्र श्री भंवरलाल, जाति–यादव, निवासी–ग्राम भोज्याडा,तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
4. राजाराम पुत्र श्री भंवरलाल, जाति–यादव, निवासी–ग्राम भोज्याडा, तहसील–चाकसू जिला–जयपुर।
5. सियाराम पुत्र श्री भंवरलाल, जाति–यादव, निवासी–ग्राम भोज्याडा, तहसील–चाकसू जिला–जयपुर।
6. महावीर पुत्र श्री बजरंगलाल, जाति–यादव, निवासी–ग्राम भोज्याडा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चाकसू, जिला–जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्स

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार, चाकसू दिनांक 15.07.2016 नामान्तरकरण संख्या 670 ग्राम भोज्याडा)

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

राजस्व अपील संख्या : 25 / 2016(जीसीएमएस संख्या : 2016 / 00339)

राधामोहन पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण, जाति–यादव, निवासी–ग्राम भोज्याडा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

अपीलान्ट्

बनाम

1. धापू पत्नी श्री भंवरलाल, जाति–यादव, निवासी–ग्राम भोज्याडा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
2. महावीर पुत्र श्री भंवरलाल, जाति–यादव, निवासी–ग्राम भोज्याडा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
3. राधाकिशन पुत्र श्री भंवरलाल, जाति–यादव, निवासी–ग्राम भोज्याडा,तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
4. राजाराम पुत्र श्री भंवरलाल, जाति–यादव, निवासी–ग्राम भोज्याडा, तहसील–चाकसू जिला–जयपुर।
5. सियाराम पुत्र श्री भंवरलाल, जाति–यादव, निवासी–ग्राम भोज्याडा, तहसील–चाकसू जिला–जयपुर।
6. महावीर पुत्र श्री बजरंगलाल, जाति–यादव, निवासी–ग्राम भोज्याडा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चाकसू, जिला–जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्स

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व आज्ञा तहसीलदार, चाकसू दिनांक 13.07.2016 बाबत् विभाजन बहक राधाकिशन पुत्र भंवरलाल)

राजस्व अपील संख्या : 29 / 2016(जीसीएमएस संख्या : 2016 / 00347)

राधामोहन पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण, जाति–यादव, निवासी–ग्राम भोज्याडा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

अपीलान्ट्

बनाम

1. धापू पत्नी श्री भंवरलाल, जाति–यादव, निवासी–ग्राम भोज्याडा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
2. महावीर पुत्र श्री भंवरलाल, जाति–यादव, निवासी–ग्राम भोज्याडा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
3. राधाकिशन पुत्र श्री भंवरलाल, जाति–यादव, निवासी–ग्राम भोज्याडा,तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
4. राजाराम पुत्र श्री भंवरलाल, जाति–यादव, निवासी–ग्राम भोज्याडा, तहसील–चाकसू जिला–जयपुर।
5. सियाराम पुत्र श्री भंवरलाल, जाति–यादव, निवासी–ग्राम भोज्याडा, तहसील–चाकसू जिला–जयपुर।
6. महावीर पुत्र श्री बजरंगलाल, जाति–यादव, निवासी–ग्राम भोज्याडा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चाकसू, जिला–जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्स

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व आज्ञा तहसीलदार, चाकसू दिनांक 15.07.2016 नामान्तरकरण संख्या 671 ग्राम भोज्याडा)

उपस्थितः–

1. श्री रामधन चौधरी, अभिभाषक, अपीलान्ट् की ओर से।
2. श्री लेखराज यादव, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट् संख्या 03 की ओर से।
3. श्री प्रहलाद रावत, राजकीय अभिभाषक।
4. रेस्पोडेन्ट् संख्या 01, 02, 04, 05, एवं 06 बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

<u>निर्णय</u> दिनांक : 21.09.2021

ग्राम भोज्याडा की आराजी खसरा नं0 898/1888 रकबा 0.15 है0, आराजी ख0 नं0 1017/1889 रकबा 0.21 है0, आराजी ख0 नं0 1046/1939 रकबा 0.94 है0, आराजी ख0 नं0 1047 रकबा 0.76 है0, आराजी ख0 नं0 1048 रकबा 2.33 है0, आराजी ख0 नं0 1049 रकबा 3.83 है0, आराजी ख0 नं0 1050 रकबा 0.59 है0, आराजी ख0 नं0 1051 रकबा 0.14 है0, आराजी ख0नं0 1052 रकबा 0.03 है0, आराजी ख0नं0 1053 रकबा 0.01 है0, आराजी ख0नं0 1054 रकबा 0.01 है0, आराजी ख0नं0 1055 रकबा 0.19 है0, आराजी ख0नं0 1056 रकबा 0.29 है0, आराजी ख0नं0 1057 रकबा 0.11 है0, आराजी ख0नं0 1058 रकबा 0.02 है0 कुल किता 15 रकबा 9.61 है0 के खातेदार राधामोहन पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण हि0 1/4, धापू देवी पत्नी श्री भंवरलाल हि0 1/4, महावीर पुत्र श्री भंवरलाल हि0 1/4, महावीर पुत्र श्री बजरंगलाल अहीर सा0 देह हि0 1/4 के खातेदार–काश्तकार के बजाय धापू देवी पत्नी श्री भंवरलाल, महावीर पुत्र श्री भंवरलाल अहीर सा0 देह हि0ब0 के नाम आराजी ख0 नं0 898/1888 रकबा 0.15 है0, आराजी ख0 नं0 1017/1889 रकबा 0.21 है0, आराजी ख0 नं0 1046/1939 रकबा 0.49 है0, आराजी ख0 नं0 1047 रकबा 0.20 है0, आराजी ख0 नं0 1048 रकबा 1.05 है0, आराजी ख0 नं0 1049 रकबा 2.02 है0, आराजी ख0 नं0 1050 रकबा 0.59 है0, आराजी ख0 नं0 1051 रकबा 0.08 है0 कुल किता 8 रकबा 4.79 है0 राधामोहन पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण महावीर पुत्र श्री बजरंगलाल अहीर सा0 देह हि0ब0 के नाम आराजी खसरा नं0 1046/1939 मि0 रकबा 0.45 है0, आराजी ख0 नं0 1047/1 रकबा 0.56 है0, आराजी ख0 नं0 1048/1 रकबा 1.28 है0, आराजी ख0 नं0 1049/1 रकबा 1.81 है0, आराजी ख0 नं0 1051/1 रकबा 0.01 है0, आराजी ख0 नं0 1051/2 रकबा 0.05 है0, आराजी ख0नं0 1053 रकबा 0.01 है0, आराजी ख0नं0 1054 रकबा 0.01 है0, आराजी ख0नं0 1055 रकबा 0.19 है0, आराजी ख0नं0 1056 रकबा 0.29 है0, आराजी ख0नं0 1057 रकबा 0.11 है0, आराजी ख0नं0 1058 रकबा

0.02 है0 कुल किता 12 रकबा 4.79 है0 के नाम तथा आराजी ख0 नं0 1052 रकबा 0.03 है0 चाह शामिलात बदस्तूर रहा का इन्द्राजात सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर (प्रथम) के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.06.2014 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 524 ग्राम भोज्याडा, तहसीलदार, चाकसू ने दिनांक 16.06.2014 को स्वीकार किया है एवं इसके पश्चात् दिनांक 15.06.2016 को विभाजन बहक सियाराम एवं इसके अनुसरण में नामान्तरकरण संख्या 662, दिनांक 15.06.2016 को विभाजन बहक महावीर एवं इसके अनुसरण में नामान्तरकरण संख्या 669, दिनांक 15.06.2016 को विभाजन बहक राजाराम एवं इसके अनुसरण में नामान्तरकरण संख्या 670, दिनांक 15.06.2016 को विभाजन बहक राधाकिशन यादव एवं इसके अनुसरण में नामान्तरकरण संख्या 671 स्वीकार किया गया है, जिससे व्यथित होकर यह अपीलें पेश की गई है।

उक्त अपीलें प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराई जाकर नोटिस रेस्पोडेन्ट्स जारी किये गये व मिसल मातहत न्यायालय तलब की गई। चूंकि प्रकरण संख्या 34/2016, 28/2016, 31/2016, 27/2016, 24/2016, 26/2016, 30/2016, 25/2016, 29/2016 में अंकित आराजी एक ही है और ये प्रकरण आपस में संबंधित है, पक्षकार समान है और विवाद के बिन्दु समान है। अतः इन प्रकरणों की बहस एक साथ समाअत की जाकर एक ही निर्णय द्वारा इनका निस्तारण किया जा रहा है।

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलान्ट् के विद्वान् अभिभाषक श्री रामधन चौधरी का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 16.06.2014 विधि–विधान व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होनें से निरस्तनीय है। मातहत न्यायालय ने अपीलान्ट् को बिना सुनवाई का नोटिस दिये व बिना सुनवाई का अवसर दिये इकतरफा मनमाने तौर पर अपीलाधीन आज्ञा पारित की है जो अवैध होने से निरस्तनीय है। वादग्रस्त आराजी ग्राम भोज्याडा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर में स्थित आराजी ख0 नं0 1017/1889 रकबा 0.21 है0, ख0 नं0 1046/1939 रकबा 0.94 है0, ख0 नं0 1047 रकबा 0.76 है0, ख0 नं0 1048 रकबा 2.33 है0, ख0 नं0 1049, रकबा 3.83 है0, ख0 नं0 1050 रकबा 0.59 है0, ख0 नं0 1051 रकबा 0.14 है0, ख0 नं0 1052 रकबा 0.03 है0, ख0 नं0 1053 रकबा 0.01 है0, ख0 नं0 1054 रकबा 0.01 है0, ख0 नं0 1055 रकबा 0.19 है0, ख0 नं0 1056 रकबा 0.29 है0, ख0 नं0 1057 रकबा 0.11 है0, ख0 नं0 1058 रकबा 0.02 है0 कुल किता 15 कुल रकबा 9.61 है0 की खातेदारी धापू देवी पत्नी श्री भंवरलाल हिस्सा 1/4 महावीर पुत्र श्री भंवर लाल हिस्सा 1/4 राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहा है। रेस्पोडेन्ट् धापू देवी पत्नी श्री

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

भंवरलाल व महावीर पुत्र श्री भंवरलाल ने एक दावा विभाजन, घोषणा एवं निषेधाज्ञा का अपीलान्ट राधामोहन व महावीर के खिलाफ सहायक कलक्टर के यहां दायर किया और उक्त वाद को दिनांक 02.06.2014 को डिक्री करा लिया, उसमें खसरा नम्बर 898/1888 रकबा 0.15 है0, ख0 नं0 1017/1889 रकबा 0.21 है0, ख0 नं0 1046 रकबा 0.49 है0, ख0 नं0 1047 रकबा 0.20 है0, ख0 नं0 1048 रकबा 1.05 है0, ख0 नं0 1049 रकबा 2.02 है0, ख0 नं0 1050 रकबा 0.59 है0, ख0 नं0 1051 रकबा 0.08 है0 कुल रकबा 4.79 है0 धापू देवी एवं महावीर पुत्र श्री भंवरलाल को विभाजन में दिये गये एवं इसी प्रकार राधामोहन पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण व महावीर पुत्र श्री बजरंग लाल को खसरा नम्बर 1046/1939 रकबा 0.45 है0, ख0 नं0 1047/1 रकबा 0.56 है0, ख0 नं0 1048/1 रकबा 1.28 है0, ख0 नं0 1049/1 रकबा 1.81 है0, ख0 नं0 1051/1 रकबा 0.01 है0, ख0 नं0 1051/2 रकबा 0.05 है0, ख0 नं0 1053 रकबा 0.01 है0, ख0 नं0 1054 रकबा 0.01 है0, ख0 नं0 1055 रकबा 0.19 है0, ख0 नं0 1056 रकबा 0.29 है0, ख0 नं0 1057 रकबा 0.11 है0, ख0 नं0 1058 रकबा 0.02 है0 कुल रकबा 4.79 है0 दिये गये तथा ख0 नं0 1052 रकबा 0.03 है0 जो गैर मुमकिन चाह थी उसमें राधामोहन पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण का 1/4 हिस्सा महावीर पुत्र श्री बजरंगलाल का 1/4 हिस्सा धापू देवी पत्नी श्री भंवरलाल का 1/4 व महावीर पुत्र श्री भंवरलाल का हिस्सा 1/4 बदस्तुर रखा। अपीलान्ट राधामोहन ने सहायक कलक्टर के निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2014 के विरूद्ध एक अपील राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर के यहां दायर की जिसमें उनके द्वारा स्थगन आज्ञा दे दी गई और दिनांक 03.03.2015 को अपीलान्ट राधामोहन की अपील स्वीकार करते हुये अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, जयपुर द्वारा पारित किये गये निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2014 को निरस्त फरमा दिया गया और विभाजन मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर करने के लिए पत्रावली सहायक कलक्टर के पास पुनः प्रेषित की अर्थात् जो निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2014 को पारित की थी उसे निरस्त करने के पश्चात् उपरोक्त वर्णित भूमि विवादित न रहकर शामलात खाते में आ गई। रेस्पोडेन्ट विपक्षीगण ने राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर के आदेश को छिपाते हुये जिसके द्वारा विभाजन की डिक्री व निर्णय सहायक कलक्टर, जयपुर–प्रथम के निर्णय डिक्री दिनांक 02.06.2014 को निरस्त किया गया था और पत्रावली सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम के यहां नये सिरे से गुणावगुण पर निर्णित हेतु प्रतिप्रेषित की थी अर्थात पूर्व में हुए विभाजन की आज्ञा समाप्त कर दी थी, के बावजूद निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2014 की पालना में अपीलाधीन आज्ञा नामान्तरकरण संख्या–524 दिनांक 16.06.2014 तहसीलदार, चाकसू से तस्दीक करा

लिया। रेस्पोडेन्ट ने विभाजन के आधार पर उपहार पत्र बनाकर नये सिरे से जो विभाजन कराने की कार्यवाही की है और इनके आधार पर नामान्तरकरण स्वीकार किये गये है वह सरासर अवैधानिक है क्योंकि सहायक कलक्टर द्वारा किये गये विभाजन के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के यहां अपील हो गई थी और उसमें निर्णय भी हो चुका था जिसमें सहायक कलक्टर, जयपुर–प्रथम के निर्णय और डिक्री को निरस्त किया गया था और जो बटा नम्बर विभाजन में हुए थे वो भी राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा निरस्त हो चुके थे इसलिए नये सिरे से कोई विभाजन भी नहीं किया जा सकता था और रेस्पोडेन्ट ने अदालत को धोखा देने की गरज से तथ्यों को छिपाया है जबकि राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर ने दिनांक 03.03.2015 को ही अपील स्वीकार करते हुये सहायक कलक्टर, जयपुर–प्रथम द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2014 को निरस्त फरमा दिया था तो राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के निर्णय के पश्चात् पुनः वादग्रस्त आराजी शामलाती हो जाने से नये सिरे से कोई विभाजन भी नहीं किया जा सकता था। रेस्पोडेन्ट विपक्षीगण ने अदालत को गुमराह करने की वजह से सारे तथ्यों को छुपाया है जबकि विपक्षीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के निर्णय के विरूद्ध राजस्व मण्डल में द्वितीय अपील की थी जो माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा दिनांक 28.08.2019 को स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के निर्णय दिनांक 03.03.2015 को निरस्त कर सहायक कलक्टर, जयपुर–प्रथम की आज्ञा व डिक्री दिनांक 02.06.2014 को यथावत बहाल रखा है यदि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा सहायक कलक्टर, जयपुर–प्रथम के निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2014 को यथावत भी रखा है तो भी विभाजन एवं इसके पश्चात् नामान्तरकरण की दिनांक को माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के निर्णय दिनांक 03.03.2015 के फलस्वरूप विभाजन एवं नामान्तरकरण नहीं किया जा सकता था, अवैध रूप से विभाजन एवं नामान्तरकरण स्वीकार किये गये है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय दिनांक 28.08.2019 के विरूद्ध अपीलान्ट् द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में नजरसानी प्रस्तुत कर रखी है जो नजरसानी डिक्री टी.ए. संख्या 5754/2019 पर दर्ज होकर विचाराधीन है जिसमें सुनवाई हेतु दिनांक 06.09.2021 नियत थी। इस प्रकार जब विभाजन का विवाद माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर जो राजस्व न्यायालय की सर्वोच्च अदालत है, में विचाराधीन है तो न्यायालय सहायक कलक्टर, जयपुर–प्रथम की आज्ञा व डिक्री दिनांक 02.06.2014 की पालना में राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर की स्थगन आज्ञा होने के बावजूद जो नामान्तरकरण संख्या 524 स्वीकार

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

किया गया है वह अवैध होने से निरस्तनीय है और राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर की आज्ञा दिनांक 03.03.2015 द्वारा सहायक कलक्टर, जयपुर–प्रथम की आज्ञा व डिक्री दिनांक 02.06.2014 को निरस्त कर दिये जाने से वादग्रस्त आराजी वापिस अपीलान्ट् व धापू देवी वगैराह जो कि धापू देवी व महावीर पुत्र श्री भंवरलाल द्वारा दायर किये गये वाद के समय दर्ज थी, के नाम आ गई। इसके बावजूद भी अपीलाधीन आज्ञा पारित की गई है जो अवैध होने से निरस्तनीय है। तहसीलदार, चाकसू के समक्ष अपीलान्ट् न तो उपस्थित था और न ही उसे कोई नोटिस ही दिया गया था और न ही कोई सहमति पत्र पर हस्ताक्षर ही किये। किसी के द्वारा डिक्री या आज्ञा तथ्यों को छिपाकर और साजिशी तौर पर कपटपूर्ण ली है तो वह किसी भी प्रकार से ऐक्ज्यूटेबिल (निस्तारण) योग्य नहीं है। अपीलान्ट् को तहसीलदार, चाकसू द्वारा की गई समस्त कार्यवाही से और उसकी कार्य प्रणाली की जानकारी से अनभिज्ञ रखा गया है, जानकारी में आते ही अपीलें की गई है अतः अपील अपीलान्ट् स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण संख्या 524 दिनांक 16.06.2014 व इसके पश्चात् दिनांक 15.06.2016 को विभाजन बहक सियाराम एवं इसके अनुसरण में नामान्तरकरण संख्या 662, दिनांक 13.07.2016 को विभाजन बहक महावीर एवं इसके अनुसरण में नामान्तरकरण संख्या 669, दिनांक 13.07.2016 को विभाजन बहक राजाराम एवं इसके अनुसरण में नामान्तरकरण संख्या 670, दिनांक 13.07.2016 को विभाजन बहक राधाकिशन यादव एवं इसके अनुसरण में नामान्तरकरण संख्या 671 स्वीकार किया गया है, को निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट् के विद्वान अभिभाषक श्री लेखराज यादव का कथन है कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में अपीलाधीन आज्ञाऐं जो पारित की गई है वे विधि–विधान और पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप पारित की गई है। वादग्रस्त आराजी के संबंध में वादग्रस्त आराजी की खातेदार धापू देवी एवं महावीर ने विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा किया था जो न्यायालय द्वारा दिनांक 02.06.2014 को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया गया है जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 524 दिनांक 16.06.2014 को स्वीकार किया गया है, पटवारी हल्का ने दिनांक 16.06.2014 की अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया है कि आज दिनांक 16.06.2014 को स्थगन नहीं है इसके पश्चात् ही तहसीलदार, चाकसू द्वारा तथ्यों की जांच कर नामन्तरकरण स्वीकार किया गया है। विभाजन की डिक्री के आधार पर खातेदारी दर्ज होने पर सक्षम खातेदार द्वारा गिफ्ट डीड किया गया है। इससे खातेदारी प्राप्त होने पर सहमती से विभाजन किया गया है और इसके पश्चात् विभाजन के नामान्तरकरण स्वीकार किये गये है जिनके द्वारा आपस में सहमती से विभाजन किया गया है और

इसके परिणामस्वरूप नामान्तरकरण स्वीकार हुऐं है उनके खातेदारों को इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं है। तहसीलदार, चाकसू द्वारा सहायक कलक्टर, जयपुर–प्रथम की डिक्री दिनांक 2.06.2014 की पालना में जो नामान्तरकरण संख्या 524 स्वीकार किया है और इसके पश्चात् जो विभाजन एवं विभाजन के पश्चात् नामान्तरकरण स्वीकार किये गये है वे सम्पूर्ण रूप से वैध इसलिए भी हो जाते है कि रेस्पोडेन्ट् द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के निर्णय दिनांक 03.03.2015 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में अपील की है जो निर्णय दिनांक 28.08.2019 द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के निर्णय दिनांक 03.03.2015 को निरस्त करते हुए सहायक कलक्टर, जयपुर–प्रथम के निर्णय दिनांक 02.06.2014 को बहाल रखा है। इस प्रकार समस्त कार्यवाही किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप योग्य नहीं रहती है यदि अपीलान्ट् द्वारा कोई नजरसानी प्रस्तुत की गई है तो वह न तो एडमीशन की गई है और न ही इसमें माननीय न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आज्ञा दी गई है। इस प्रकार माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की आज्ञा दिनांक 28.08.2019 अंतिम होने से विचाराधीन अपीलों में कोई सार न होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलें अपीलान्ट् खारिज फरमाई जावे और अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, चाकसू की अपीलाधीन आज्ञाओं को यथावत रखे जाने के आदेश फरमाये जावें।

विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री प्रहलाद रावत का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञाऐं विधि–सम्मत है। नामान्तरकरण संख्या–524 दिनांक 16.06.2014 स्वीकार की जाने की दिनांक को किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं था। पटवारी हल्का ने स्पष्ट रिपोर्ट की है। वादग्रस्त आराजी के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा दिनांक 28.08.2019 को निर्णय किया जा चुका है जिसमें सहायक कलक्टर, जयपुर–प्रथम के निर्णय दिनांक 02.06.2014 को बहाल रखा है। इस प्रकार माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा निर्णय कर दिये जाने के पश्चात् विवाद का कोई बिन्दु शेष नहीं रहता है। अतः अपीलें खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली नामान्तरकरण संख्या 524 के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण पटवारी हल्का द्वारा सहायक कलक्टर, जयपुर–प्रथम की आज्ञा दिनांक 02.06.2014 की पालना में भरा जाकर प्रस्तुत किया है और अपनी रिपोर्ट में स्थगन न होना स्पष्ट रूप से अंकित किया है। भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तथ्यों की जांच की गई है तत्पश्चात् तहसीलदार, चाकसू ने तथ्यों की जांच कर नामान्तरकरण स्वीकार किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली

नामान्तरकरण संख्या 524 के अवलोकन से यह स्पष्ट जाहिर है कि निर्णय दिनांक 02.06.2014 की क्रियान्विति पर नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने पर न तो किसी सक्षम न्यायालय की स्थगन आज्ञा थी और न ही आज्ञा दिनांक 02.06.2014 को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने की दिनांक को निरस्त किया गया है अर्थात आज्ञा दिनांक 02.06.2014 क्रियान्विति हेतु वैध थी। इस प्रकार आज्ञा दिनांक 02.06.2014 की अनुपालना में नामान्तरकरण संख्या 524 स्वीकार किये जाने में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं पाते है। इसके पश्चात् आपसी सहमती से किये गये विभाजन एवं इनके अनुपालन में स्वीकार किये गये नामान्तरकरणों के संबंध में हमारा विनम्र मत है कि जब सहायक कलक्टर, जयपुर–प्रथम की आज्ञा एवं डिक्री दिनांक 02.06.2014 को चुनौती में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा बहाल रखा गया है और राजस्व अपील प्राधिकारी की आज्ञा दिनांक 03.03.2015 को निरस्त किया गया है तो अपीलान्ट् द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वतः ही निष्प्रभावी (infractuous) हो जाती है। इसमें यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि विभाजन व नामान्तरकरण जिन पक्षों के हक में स्वीकार किये गये है उनके द्वारा किसी प्रकार की विधिक आपत्ति नहीं की गई है। अपीलान्ट् के विद्वान अभिभाषक ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की आज्ञा दिनांक 28.08.2019 के विरूद्ध नजरसानी प्रस्तुत किया जाना जाहिर किया है परन्तु पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है जो यह जाहिर करते हो कि आज्ञा दिनांक 28.08.2019 की क्रियान्विति पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश हो। उक्त विवेचनानुसार उपरोक्त समस्त अपीलें निष्प्रभावी होने से खारिज किऐ जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त समस्त अपीलें निष्प्रभावी होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति जुदागाना–जुदागाना पत्रावली पर रखी जावे।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 21.09.2021 को सुनाया गया।

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

(डॉ0 गिरीश पाराशर)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर